कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल
(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1142 / सम्पदा ई–पंजीयन – 109 / 2015 भोपाल, दिनांक 04.09.2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय – सम्पदा ई–पंजीयन के अन्तर्गत उप पंजीयक द्वारा भेंट दिए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 31 के अन्तर्गत कतिपय मामलों में भेंट पर दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण अथवा वसीयत के निक्षेप के लिए उसे प्रतिग्रहीत किए जाने का प्रावधान है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्पदा ई–पंजीयन के अन्तर्गत भी विधिक प्रावधानों के अनुसार भेंट दिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भेंट हेतु आवेदन प्राप्त होने पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाए –

1. संबंधित उप पंजीयक द्वारा आवेदन का परीक्षण कर उसे तत्काल जिला पंजीयक को यथास्थिति अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाए।

2. जिला पंजीयक द्वारा बिना कोई विलम्ब किए, भेंट में उल्लिखित कारणों का आवेदन के साथ प्रस्तुत अभिलेखों, जैसे पक्षकार का अस्पताल में भर्ती होने या रोगग्रस्त होने अथवा जेल में होने, आदि का सत्यापन कर भेंट की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा महानिरीक्षक पंजीयन को ई–मेल द्वारा भेजी जाए।

3. महानिरीक्षक पंजीयन की अनुमति के उपरान्त ऐसे मामलों में संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा पक्षकार से निर्धारित फीस जमा कराए जाने के उपरान्त दस्तावेज के संबंध में भेंट देकर आगामी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 1143 / सम्पदा ई–पंजीयन – 109 / 2015 भोपाल, दिनांक 04.09.2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।